

महाराष्ट्र राज्य विवाद धोरणानुसार राज्यस्तरीय,  
विभागस्तरीय व जिल्हास्तरीय अधिकार समिती  
गठीत करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन  
विधि व न्याय विभाग,  
शासन निर्णय क्र.समिती २०१६/प्र.क्र.०६/का.१९  
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,  
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.  
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०१६.

**वाचा :-** शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.सीटीएस २०१६/प्र.क्र.९४/का.१९,  
दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१४.

**प्रस्तावना :-**

महाराष्ट्र राज्यातील न्यायव्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्याकरिता या विभागाच्या उपरोक्त शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य विवाद धोरण लागू करण्यात आले आहे. सदर धोरणानुसार राज्यस्तरीय, विभागस्तरीय व जिल्हास्तरीय अधिकार प्रदत्त समित्या स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय :-**

राज्य विवाद धोरणान्वये अधोरेखित केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता, सामुहिक धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता खालीलप्रमाणे समित्या गठीत करण्यात येत आहेत :-

**(अ) राज्यस्तरीय अधिकार प्रदत्त समिती**

| अ.क्र. | अधिकारी  | पद         |
|--------|--|------------|
| १.     | मुख्य सचिव   | अध्यक्ष    |
| २.     | अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग,<br>मंत्रालय, मुंबई                              | सदस्य      |
| ३.     | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (महसूल)<br>महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई     | सदस्य      |
| ४.     | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सेवा)<br>सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई | सदस्य      |
| ५.     | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (नवि-१)<br>नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई      | सदस्य      |
| ६.     | प्रधान सचिव व विधि परामर्शी,<br>विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई              | सदस्य सचिव |
| ७.     | संचालक अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य  | सदस्य      |

|     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| ८.  | प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय विभाग,<br>मंत्रालय, मुंबई           | निमंत्रित सदस्य |
| ९.  | प्रधान सचिव/सचिव, आदिवासी विकास विभाग,<br>मंत्रालय, मुंबई           | निमंत्रित सदस्य |
| १०. | प्रधान सचिव/सचिव, महिला व बालकल्याण विकास विभाग,<br>मंत्रालय, मुंबई | निमंत्रित सदस्य |

**(ब) विभागीयस्तरीय अधिकार प्रदत्त समिती**

| <u>अ.क्र.</u> | <u>अधिकारी</u>  | <u>पद</u>  |
|---------------|---|------------|
| १.            | संबंधित प्रशासकीय विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव/<br>प्रधान सचिव/सचिव | अध्यक्ष    |
| २.            | संबंधित प्रशासकीय विभागातील अन्य प्रधान सचिव<br>(आवश्यक असल्यास)    | सदस्य      |
| ३.            | संबंधित प्रशासकीय विभागातील अन्य सचिव<br>(आवश्यक असल्यास)           | सदस्य      |
| ४.            | संबंधित प्रशासकीय विभागाचा मध्यस्थ अधिकारी<br>(नोडल ऑफिसर)          | सदस्य सचिव |

**(क) जिल्हास्तरीय अधिकार प्रदत्त समिती**

| <u>अ.क्र.</u> | <u>अधिकारी</u>                              | <u>पद</u>  |
|---------------|---|------------|
| १.            | जिल्हाधिकारी/दंडाधिकारी                     | अध्यक्ष    |
| २.            | महानगरपालिका आयुक्त/नगर परिषद/मुख्य अधिकारी | सदस्य      |
| ३.            | पोलिस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधिक्षक           | सदस्य      |
| ४.            | जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी     | सदस्य      |
| ५.            | जिल्हा सरकारी वकील/जिल्हा सरकारी अभियोक्ता  | सदस्य सचिव |
| ६.            | सहायक अभियोग, अभियोग संचालनालय              | सदस्य      |
| ७.            | भूसंपादन समन्वय अधिकारी                     | सदस्य      |
| ८.            | जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था)             | सदस्य      |

वरील (ब) प्रमाणे संबंधित प्रशासकीय विभागांनी प्रभारी मंत्री यांची मान्यता घेऊन विभागस्तरीय अधिकार प्रदत्त समिती गठीत करण्याबाबतची कार्यवाही करावी. वरील (क) प्रमाणे जिल्हास्तरीय अधिकार प्रदत्त समिती संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी गठीत करण्याबाबतची कार्यवाही करून त्यानुसार विधि व न्याय विभागास अवगत करावे.

राज्यस्तरीय अधिकार प्रदत्त समिती, विभागस्तरीय अधिकार प्रदत्त समिती व जिल्हास्तरीय अधिकार प्रदत्त समिती यांची कार्यकक्षा अनुक्रमे शासन निर्णय क्र.सीटीए २०१६/प्र.क्र.९४/का.१९, दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१४ च्या परिशिष्ट “अ” मधील परिच्छेद क्र.३.१.२, ३.२.२ व ३.३.२ नुसार राहतील. समितीवरील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या त्यांच्या विवक्षित पदनामानेच करण्यात याव्यात.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१६०२०८१२५९४७०६१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(नि.ज.जमादार)  
सचिव व विधि परामर्शी.

प्रति,

१. राज्यपालांचे सचिव,
२. मुख्यमंत्र्यांचे व उप मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,
३. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक,
४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
५. सर्व अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग,
६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
७. अभियोग संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
८. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग,
९. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई,
१०. सर्व जिल्हाधिकारी,
११. समन्वय अधिकारी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
१२. निवड नस्ती.